भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 379

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: केरल में किसानों का संकट

379. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभाव के कारण केरल में नारियल, रबर, मसाला तथा अन्य सामग्री के उत्पादक किसानों के संकट का विश्लेषण किया है और यदि हाँ, तो इस मुद्दे को हल करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का केरल में उगाई जाने वाली फसलों जैसे नारियल, रबर, मसाले आदि के लिए पर्याप्त समर्थन मूल्य प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केरल में किसानों को अधिक राजसहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का रबर, काली मिर्च, नारियल आदि जैसे कृषि उत्पादों के घरेलू मूल्य की संरक्षा के लिए उदार आयात नीति को संशोधित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुई क्षति के लिए पर्याप्त मुआवजा देने हेतु कार्रवाई शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करके, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर बॉल कोपरा और मिलिंग कोपरा सहित 22 अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

हालाँकि, एमएसपी फ्रेमवर्क में फसलों को शामिल करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक शेल्फ लाइफ होना, गैर-नाशवान होना, व्यापक रूप से उगाया जाना, जनसाधारण द्वारा उपभोग और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होना शामिल है।

(ग): वर्ष 2025-26 से 'नारियल क्षेत्र विस्तार' कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी को ₹ 6,500 प्रति हेक्टेयर से आठ गुना बढ़ाकर ₹ 56,000 प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है, जिससे किसानों को नए क्षेत्रों में नारियल की खेती शुरू करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

(घ): नारियल उत्पादों का निर्यात विगत वर्षों से बढ़ रहा है और पिछले वर्ष निर्यात मूल्य में 25.35% की वृद्धि हुई और यह 4349.03 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। कोपरा और नारियल तेल का आयात अडवांस ऑथराइज़ेशन के तहत विनियमित किया जाता है। सूखे नारियल (डिसिकेटेड कोकोनट) के आयात के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम आयात मूल्य की अनुमति है। इस प्रकार नारियल उत्पादों की आयात नीति घरेलू नारियल सेक्टर को सुरक्षित रखती है।

(ङ): नारियल विकास बोर्ड, राज्य सरकार और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के सहयोग से नारियल पाम के लिए बीमा योजना अर्थात् नारियल पाम बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नारियल पाम को प्राकृतिक और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है ताकि नारियल पाम की क्षति/जर्जर होने की स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) में नारियल पाम को शामिल किया गया है। केरल में इस योजना का कार्यान्वयन पहले ही आरंभ हो चुका है।

*****